न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 72/2021

प्रार्थी :–

1 कौशल्या देवी पत्नी पप्पाराम पुत्री मांगीलाल जाति पालीवाल ब्राहम्ण निवासी कांकेलाव तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1 मांगीलाल पुत्र काशीराम जाति पालीवाल नि0खामल तहसील सोजत जिला पाली।
2 रुकमा देवी पत्नी नारायणलाल पुत्री मांगीलाल पालीवाल निवासी चांदलाई तहसील सोजतजिला पाली।
3 मूली देवी पत्नी अमराराम जाति पालीवाल निवासी भटीण्डा तहसील जोधपुर।
4 सुभाष पुत्र अमराराम जाति पालीवाल निवासी भटीण्डा तहसील व जिला जोधपुर।
5 तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 तथा श्री महेन्द्र चौधरी अप्रार्थी संख्या 04 अधिवक्तागण अप्रार्थी गण उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 31/09/22

.....

अधिवक्ता प्रार्थीया ने राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू.अ.नि.क्षैत्र शिवपुरा तहसील सोजत, जिला पाली के खसरा नंबर 483, 505, 548, 549, 550, 551, 555, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 448, 449, 451, 452, 1052 कुल खसरा 18 कुल रकबा 37.7200 है0 भूमि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा काशीराम पुत्र रतीराम के हक हकूक खातेंदारी की कृषि भूमि थी तथा प्रार्थीया के दादा काशीराम के जीवनकाल मे प्रार्थीया का जन्म हो चुका था तथा उस समय काशीराम का संयुक्त अविभक्त परिवार था तथा प्रार्थीया कोपार्सनर है। प्रार्थीया के दादा काशीराम के स्वर्गवास के पश्चात काशीराम के पुत्र भुराराम ,मोहनलाल व मांगीलाल के नाम विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 100 दर्ज किया गया, जबकि प्रार्थीया काशीराम की कोपार्सनार होने से प्रार्थीया का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 के साथ दर्ज किया जाना चाहिये था, लेकिन प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही किया गया। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के सेटलमेंट से पूर्व पुराने खसरा नम्बर 128 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 129 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 142 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 144 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 184 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 84 बीघा 8 बीस्वा, खसरा नम्बर 295 रकबा 83 बीघा 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 458 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा कुल खसरा 10 कुल रकबा 240 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि से मिलकर बने है जो खसरा मिलान से प्रमाणित है। खसरा मिलान

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त पद मे वर्णित कृषि भुमि राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी 2024 से 2027 मे प्रार्थीया के दादा काशीराम पुत्र रतीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है, इससे यह बखुबी प्रमाणित है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2024 से सम्वत 2027 साथ संलग्न है। प्रार्थीया के दादा काशीराम पुत्र रतीराम की वंशावली प्रस्तुत कर निवेदन किया कि काशीराम पुत्र रतीराम के एक पुत्री भीकी देवी व तीन पुत्र भुराराम, मोहनलाल, मांगीलाल जिसमे से मागीलाल फौत होने से उनके तीन पुत्रीया कौशल्या , रकमा व मूली देवी है एंव उपरोक्त के अलावा अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नही है। काशीराम के स्वर्गवास के पश्चात काशीराम के तीनों पुत्र भुराराम, मोहनलाल व मांगीलाल ने अपनी मनमर्जी अनुसार प्रार्थीया से बिना सहमति लिये पद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का बंटवाडा किया जो निम्नानुसार है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 360 है। खसरा नंबर 1052/2 रकबा 0.7700 है0 किस्म बारानी दोयम, ख0नम्बर 213/1 रकबा 0.8400 है0 किस्म बारानी दोयम , ख0नम्बर 214 रकबा 1.000 है0 किस्म बारानी अव्वल, ख0नम्बर 448 रकबा 3.3000 है0 किस्म बारानी अव्वल, ख0नम्बर 449/1 रकबा 1.4600 है0 किस्म बारानी अव्वल, ख0नम्बर 483/1 रकबा 0.9100 है0 किस्म चाही दोयम,बंजड, ख0नम्बर 505/1 रकबा 0.4300 है0 किस्म चाही दोयम,बंजड, ख0नम्बर 548/2 रकबा 0.1600 है0 किस्म चाही दोयम,बंजड, ख0नम्बर 549/1 रकबा 0.9100 है0 किस्म चाही दोयम,बंजड, ख0नम्बर 551/1 रकबा 0.6700 है0 किस्म चाही दोयम,बंजड, कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 10.4500 है0 उपरोक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र मे वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2024 से सम्वत् 2027 के अनुसार उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा काशीराम पुत्र रतीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। प्रार्थीया के दादा का स्वर्गवास होने से उपरोक्त कृषि भूमि काशीराम के विधिक वारिसान तीनो पुत्र श्री भुराराम,मोहनलाल व मांगीलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हुई है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 मे इन्द्राज सुदा है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल पुत्र काशीराम प्रार्थीया के पिता है तथा काशीराम पुत्र रतीराम प्रार्थीया के दादा है, इस प्रकार उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि व राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीया के दादा काशीराम के नाम से खातेदारी दर्ज होने से यह स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा प्रार्थीया के पिता मांगीलाल पुत्र काशीराम को अपने पिता काशीराम से पैतृक सम्पति के रुप मे प्राप्त हुई, उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि नही है, यानि उपरोक्त कृषि भूमि मे प्राप्त हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जीत सम्पति नही होकर पैतृक सम्पति थी, जो सम्पति काशीराम के पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई थी, चूंकि प्रार्थीया काशीराम पुत्र रतीराम की पौत्री है, जिनका जन्म काशीराम के जीवनकाल मे हो गया था, इस कारण से वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीया का हित जन्म से रहा है इसलिये प्रार्थीया काशीराम की कोपार्सनर है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा जो बतौर खातेदार मांगीलाल पुत्र काशीराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे कानून के विरुद्ध इन्द्राज हुआ, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से मे प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का बराबर हक व हिस्सा है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त कृषि भूमि मे प्राप्त हुये हिस्से मे अप्रार्थी संख्या 1 व दादा के जीवनकाल मे जन्मे अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रीयों का भी बराबर हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार उक्त वादस्थ कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का मात्र 1/4 तथा प्रार्थीया का 1/4 व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का भी 1/4–1/4 हक हिस्सा निहित है, तदानुसार प्रार्थी उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि पर अपने 1/4 हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीया के 1/4 हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत या अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा पैतृक सम्पति मे प्राप्त हुआ है। तदानुसार प्रार्थीया व अपार्थी संख्या 1 लगायत 3 अपने दादा काशीराम के देहान्त से काबिज काश्त करते आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज हैं। लेकिन राजस्व कर्मचारियो व

अधिकारियों ने प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को मिली उपरोक्त कृषि भूमि मे केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 का नाम इन्द्राज कर दिया। दिनांक 16/10/2020 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा दर्ज कर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर अलग खातेदारी दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवा दुंगा, तत्पश्चात प्रार्थीया दिनांक 30/01/2020 को अपने हक हिस्से की कृषि भूमि की देखरेख करने व काश्त करने हेतु गई, तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया कि उपरोक्त कृषि भूमि पर काश्त करने से मना कर दिया तथा एलानिया धमकी दी कि उपरोक्त कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे निष्पादित करवा दी है तथा यह भी एलानिया कंहा कि शेष कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी सख्या 4 के पक्ष मे निष्पादित करवा दुंगा,तथा अब उपरोक्त कृषि भूमि पर तुम्हारा किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है, जिस कृषि भूमि मे मेरा 1/4 हक हिस्सा जन्म से निहित हो चुका है, जिस 1/4 हक हिस्से का बेचान हस्तानान्तरण करने का आपको किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है, तब प्रार्थीया ने दिनांक 02/02/2021 को प्रार्थीया को बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठा कर उसे गुमराह कर प्रार्थीया के हक हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 3.300 है0 कृषि भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18/11/2020 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे तैयार करवा कर उप पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी मे प्रस्तुत कर बेचान रजिस्ट्री पंजीयन करवा दी, जो बेचान रजिस्ट्री पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 56 मे पृष्ठ संख्या 48 क्रम संख्या 202003216102474 पर दिनांक 18/11/2020 को पंजीबद्ध करवा दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 शेष कृषि भूमि का भी बेचान अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे करने को उतारु है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीया के हक हिस्से की उपरोक्त कृषि भूमि का विक्रय विलेख करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है और न ही ऐसे विक्रय विलेख से प्रार्थीया के हक व अधिकार प्रभावित करता है। ऐसा विक्रय विलेख प्रार्थीया के हक व हिस्से तक प्रारम्भतः शून्य व निष्प्रभावी है। अपार्थी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति होने से अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुये गुमराह कर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 448 की सम्पूर्ण कृषि भूमि का विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे तैयार कर विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी मे पंजीबद्ध करवा दिया, तथा शेष कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे करने पर उतारु है। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का मात्र 1/4 हक हिस्सा ही आता है जो हिस्सा ही अपार्थी सं.ख्या 1 को बेचान हस्तानान्तारण करने का अधिकार था, उसके बावजूद भी बिना हक व अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 ने मात्र राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि का भी विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे निष्पादित कर दिया, जो विक्रय विलेख प्रार्थीया के हक हिस्से तक प्रारम्भतः शुन्य व निष्प्रभावित है तथा ऐसे विक्रय विलेख से अप्रार्थी संख्या 4 को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है और न ही उक्त विक्रय विलेख से प्रार्थीया के हक व अधिकार प्रभावित होते है। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 की वृद्धावस्था व राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज का फायदा उठाते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को गुमराह करते हुये प्रार्थीया को पैतृक सम्पति के रुप मे प्राप्त हुये हक हिस्से से मेहरुम करने हेतु विक्रय विलेख अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे तैयार करवा दिया, जबकि उक्त वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीया का हक हिसा काशीराम के जीवनकाल मे प्रार्थीया के जन्म लेते ही प्राप्त हो गया था, तब से लगाकर आज दिन तक प्रार्थीया बतौर काश्तकार काबिज काश्त है तथा आज भी मौके पर काबिज है, प्रार्थीया दिनांक 30/01/2021 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की देखरेख करने व काश्त कराने हेतु गई तो अप्रार्थीगण ने विक्रय विलेख दिनांक 18/11/2020 के आधार पर प्रार्थीया को उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने पर उतारु हुये। प्रार्थीया के हक हिस्से के विरुद्ध तैयार किये गये। विक्रय विलेख के आधार पर जबरन कब्जा करने हेतु तत्पर हेतु है तथा प्रार्थीया को खातेदार मानने

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

से इन्कार कर रहे है, जबकि प्रार्थीया का वादस्थ कृषि मे स्थित अपने हक हिस्से मे से बेदखल नही करे तथा कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीया विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा स्व काशीराम पुत्र रतीराम की हक हकूक खातेदारी की कृषि भूमि है तथा प्रार्थीया का जन्म काशीराम के जीवनकाल मे हो जाने से तथा वादीया स्व काशीराम की कोपार्सनर होने से उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि मे प्रार्थीया का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का होने से तथा उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का शुरु से कब्जा होने से तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण अप्रार्थी संख्या 4 को कर देने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे है, यदि अप्रार्थी संख्या 1 सम्पूर्ण कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर प्रार्थीया का वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल कर कब्ज काश्त मे दखल अन्दाजी उत्पन्न करते है तो प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसका मूल्यांकन कदापी रुपयों पैसो मे नही आका जा सकेगा, इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सूविधा का संतुलन अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष मे होने से प्रार्थीया के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एंवम न्याय संगत है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बक्सीस, वसीयत इत्यादि न तो स्वंय करे एंवम न ही अपने नौकर एजेन्ट इत्यादि से करावे न ही अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे दखल अन्दाजी ,व्यवधान, रुकावट, बाधा, अडचन करे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 मे वर्णित कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण, बक्सीस, रहन, वसीयत इत्यादि करने से रोका जाकर तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से रोका जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया मूल वाद में सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से दिनांक 18.05.2022 को जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रार्थीया ने मूल वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे बिल्कुल ही गलत व झूठे तथ्यों को आधार बनाकर पेश किया है, जिसमे प्रार्थीया को कतई सफलता नही मिल सकती है। प्रा0 पत्र मे वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खामल पटवार हल्का खामल भू–अभिलेख निरीक्षक शिवपुरा तहसील सोजत मे स्थित है। उक्त कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल बतौर खातेदार शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि पर कोई काबिज काश्त नही है। प्रार्थीया अपने ससूराल मे ग्राम काकेलाव तहसील व जिला जोधपुर मे निवास करती है। पुराने खसरा संख्या से बने वर्तमान खसरा संख्या का उल्लेख किया है ,जो दस्तावेज साक्ष्य से साबित करे। प्रार्थीया ने काशीराम की वंशावली बताई है। प्रार्थीया ने कथन किया कि काशीराम के तीन पुत्र भूराराम, मोहनलाल, व मांगीलाल ने अपनी मर्जी अनुसार प्रार्थीया से बिना सहमति लिये प्रा0 पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का बंटवाडा किया। प्रार्थीया ने अपने अभिवचन मे कही पर भी यह अंकित नही किया कि उक्त बंटवाडा कब व किस समय किया गया। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि मे काशीराम के स्वर्गवास के बाद राजस्व रेकर्ड मे नाम उनके पिता के जीवनकाल मे दर्ज कतई नही किया जा सकता है अर्थात पिता के जीवनकाल मे दादा के फौतेदगी नामान्तरण मे पौत्री व पौत्र के नाम खातेदारी कतई दर्ज नही कि जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया की सहमति का प्रश्न ही पैदा नही होता है। काशीराम के जीवनकाल मे प्रार्थीया का जन्म ही नही हुआ है। काशीराम जी के मृत्यु के समय प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल स्वंय 03 तीन वर्ष के थे, उस समय मांगीलाल अविवाहित थे तो ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया का जन्म होना पूर्णतया गलत है। इस पद मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया के पिता का 1/4 हिससा होने के कथन अंकित किये जो गलत है। उक्त सम्पूर्ण

कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल को उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग एंव बेचान हस्तान्तरण करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। जिसे प्रार्थीया कतई रुकवाने की अधिकारीणी नही है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल व उनकी पत्नी सुन्दरदेवी दोनो ही वृद्ध है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है एंव सुन्दर देवी की उम्र 73 वर्ष अधिक है दोनो ही वृद्ध होने से काम काज नही कर सकते है, जिनके पास आय का कोई साधन नही है। अप्रार्थी संख्या 01 व उसकी पत्नी के भरण पोषण, चिकित्या आदि व जायज जरुरतों की पूर्ति के लिये एक मात्र आय का जरिये उक्त कृषि भूमि ही है। उक्त कृषि भूमि के मजदूरों से काश्त करवाकर फसल का हासल प्राप्त राशि प्राप्त होती है, जिससे वह अपना भरण पोषण आदि का खर्च वहन करते है। उक्त कृषि भूमि की आय से ही अपनी तीनों पुत्रीयां प्रार्थी कौशल्या, अप्रार्थी संख्या 02 रुकमा व अप्रार्थी संख्या मूली देवी के सामाजिक खर्च मायरा आदि किया है व भविष्य मे भी किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हक व अधिकारों का उपयोग करते हुए व अपने व अपनी पत्नी सुन्दर देवी के जीवनकाल को चलाने के लिए जायज रुपयों की आवश्यकता होने पर उक्त कृषि भूमि मे से खसरा संख्या 448 रकबा 3.3000 है0 कृषि भूमि को बेचान अपार्थी संख्या 4 के पक्ष मे दिनांक 18.11.2020 को तहरीर एंव तकमील कर उप पंजीयन कार्यालय मे पंजीबद्ध करवाया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 से उक्त बेचान की गई कृषि भूमि की प्रतिफल की राशि रोकड प्राप्त कर कृषि भूमि का कब्जा अप्रार्थी संख्या 4 को सुपुर्द कर दिया, तब से अप्रार्थी संख्या 4 खसरा संख्या 448 रकबा 3.300 हैक्टर कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अप्रार्थी संख्या 04 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जा चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 04 सुभाष रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जबाब इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने उक्त कृषि भूमि काशीराम पुत्र रतीराम की खातेदारी कृषि भूमि होना बताया है तथा उक्त कृषि भूमि मे काशीराम के स्वर्गवास के पश्चात तीनो पुत्र भुराराम, मोहनलाल व मांगीलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होने के कथन किये है, जो आंशिक स्वीकार हैं । अप्रार्थी संख्या 1 के तीन पुत्रिया ही जो सही है। अप्रार्थी संख्या 1 के तीन पुत्रीया ही है जो सही है। अप्रार्थी संख्या 1 के कोई जायन्दा पुत्र नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के मांगीलाल व उसकी पत्नी सुन्दर देवी काफी वृद्ध हो चुके है। जिससे उनके खानपान दवाई पानी आदि की सुविधाओ का हर समय आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल व उसकी पत्नी सुन्दरदेवी काफी वृद्ध हो चुके है। जिससे उनके खानपान दवाई आदि की सुविधाओ का हर समय आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल के आय का एकमात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी सुन्दरदेवी काफी वृद्ध हो चुके है। जिससे उनके खानपान दवाई पानी आदि की सुविधाओं का हर समय आवश्यकता रहती है। अपार्थी संख्या 01 मांगीलाल के आय का एकमात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि ही है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसकी पत्नी के वृद्ध होने से उक्त कृषि भूमि पर मजदूरों से काश्त करवाते है।अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल ने अपने जीवनकाल मे अपनी हैसियत के अनुसार उनकी तीनों पुत्रीयां–प्रार्थीया कौशल्या, अप्रार्थी संख्या 2 रुकमा ,अपार्थी संख्या 3 मूली देवी को विवाह के समय एंव बाद मे सामाजिक कार्यकम के दौरान राशि गहने (जेवरात) आदि दिये है तथा अपनी पुत्री प्रार्थीया कौशल्या के पुत्र अशोक, पुत्री संगीता के विवाह के समय भी मायरा के रुप मे रुपये ,गहने, कपडे आदि चढायें है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 के पास आमदनी इतनी नही होने की वजह से रुपयों का कर्जा बढता गया, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 को रुपयों की संख्त आवश्यकता हुई, तब अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी जायज जरुरत होने पर तथा कर्ज की राशि को चुकाने के लिए उक्त कृषि भूमि का बेचान कर उसे प्राप्त प्रतिफल की राशि से अपना कर्जा चुकाया है। प्रार्थीया ने कभी भी अपने पिता मांगीलाल की सेवा चाकरी आदि नही की है, जिससे उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नही रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाब इस प्रकार है कि पद संख्या 02 मे वर्णित कृषि भूमि मे 1/3 एक बटटा तीन हिस्सा मांगीलाल पुत्र काशीराम का होना बताया है। उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा काफी वर्षो पूर्व काशीराम के विधिक वारिसान के बीच होना बताया गया है। काशीराम के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि मे मांगीलाल जी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

के जीवनकाल मे प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। काशीराम के जीवनकाल मे प्रार्थीया का जन्म ही नही हुआ है । काशीराम जी के मृत्यु के समय प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल स्वंय 03 तीन वर्ष के थे, उस समय मांगीलाल अविवाहित थे तो ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया कौशल्या का जन्म होना पूर्णतया गलत है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्ज काश्त नही है। प्रार्थीया यह लिखना कतई गलत है कि उक्त कृषि भूमि मे मांगीलाल पुत्र काशीराम का राजस्व रेकर्ड मे कानून के विरुद्ध इन्द्राज हुआ है। प्रार्थीया अपने खातेदारी हक व अधिकारों की घोषणा करवाये बिना कतई बेचान रजिस्ट्री करवाने की कतई अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि मे कतई 1/4हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि मे 1/4 हिस्से मे कोई कब्जा काश्त नही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नही है। प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि मे अपने खातेदारी हक की घोषणा करवाये बिना उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाने का कतई अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीया का वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/4 हिस्सा कतई नही है, न ही प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त है। काशीराम का देहान्त कब हुआ, प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे कही भी अंकित नही किया हैं। काशीराम के स्वर्गवास के समय प्रार्थीया का जन्म ही नही हुआ। उस समय अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल स्वंय करीब 03 वर्ष के थे। प्रार्थीया अपने ससुराल मे ही निवास कर रही है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि पर कब्ज काश्त नही है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने अप्रार्थी संख्या 01 का नाम इन्द्राज करवाने मे किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है। प्रार्थीया ने अपने वाद पत्र मे मांगीलाल का नाम राजस्व रेकर्ड मे कब इन्द्राज किया नही बताया है। प्रार्थीया ने दिनांक 16.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 से वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/4 हिस्से का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने का निवेदन करने के कथन अंकित किये है जो गलत है। प्रार्थीया अपने खातेदारी हक की घोषणा करवाये बिना उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाने की कतई अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त कृषि भूमि व बंटवाडा करवाने की बात नही कही है। अप्रार्थी संख्या 01 मांगीलाल के जीवनकाल मे प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि सें कोई लेंना देना नही है। दिनांक 30.01.2020 को प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि पर देखरेख करने हेतु गई नही । वादग्रस्त कृषि भूमि का एकमात्र कब्जा अप्रार्थी संख्या 01 का था। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने हक अधिकारों का उपयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे दिनांक 18.11.2020 को बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवाई है। वर्तमान मे उक्त राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 04 सुभाष का नाम रेकर्ड मे अमल दरामद हो चुका है। अप्रार्थी संख्या रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थीया ने दिनांक 30.01.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मे से खसरा संख्या 448 की बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवाने की धमकिया देने के कथन अंकित किये है, जबकि दिनांक 30.01.2020 के पहले अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे कोई बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे निष्पादित नही की थी। ऐसी स्थिति मे दिनांक 30.01.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे निष्पादित नही की थी। ऐसी स्थिति मे दिनांक 30.01.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे निष्पादित करवाने के कथन गलत व झूठे है। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 18.11.2020 को अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष मे बेचान रजिस्ट्री निष्पादित करवाई है। प्रार्थीया का कतई 1/4 हिससा नही बनता है। प्रार्थीया ने अपने खातदारी हक की घोषणा सक्षम न्यायालय मे करवाये बिना उक्त बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18.11.2020 को कतई निरस्त करवाने की अधिकारीणी नही है। अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे निष्पादित विक्रय विलेख कतई शून्य एंव निष्प्रभावी नही है। प्रार्थीया बेचान दस्तावेज दिनांक 18.11.2020 की कतई निरस्त व निष्प्रभावी घोषित करवाने की अधिकारीणी नही है प्रार्थीया ने गलत वाद पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल को कतई गुमराह नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल व उनकी पत्नी सुन्दरदेवी की जायज जरुरतों एंव रुपयों की आवश्यकता होने पर एंव कर्जा उतारने के लिए खसरा नंबर 448 की भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 04 को किया गया। प्रार्थीया का यह लिखना कतई गलत है कि अप्रार्थी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा आता

जिसमें प्रार्थीया का भी हक हिस्सा है। इसलिए प्रा0 पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि को बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण करने तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त की भूमि में दखलअंदारजी करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी को रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के जबाब में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 04 अपनी खरीदसुदा कृषि भूमि में रेकर्डेड खातेदार है तथा अपनी उक्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया को उक्त भूमि पर काश्त करते अप्रार्थी ने अपने कभी भी नही देखा न ही कौशल्या को काश्त करते देखा है। अप्रार्थी के जन्म से पहले ही काशीराम का स्वर्गवास हो चुका था। अप्रार्थी को जरिए बेचान रजिस्ट्री खरीद करने से हक अधिकार प्राप्त हुए है। जिस सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अप्रार्थी बतौर खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाता है तो प्रार्थीया की बजाय अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थीया कतई खातेदारी हक की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नही है न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने अपने कथनो के समर्थन में 2022(2)डीएनजे(राज.)597 न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण पेश किए।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र ज0प्रा0 पत्र अधिवक्ता मय अप्रार्थी फहरिस्त मय दस्तावेजात तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण दृष्टांतों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। यदि दौराने वाद वादस्थ भूमि का बैचान / हस्तान्तरण होता है तो प्रकरण के निर्णय में ओर अधिक जटिलता होगी। वादस्थ प्रथम दृष्टया पुश्तैनी भूमि होना प्रतित होता है। प्रार्थिया के हक अधिकारो का विनिश्चय मूल वाद में जबाब दावा पेश होकर तनकियात कायमी पश्चात साक्ष्य सबूतो एवं सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों का विवचेन / विश्लेषण के पश्चात संभव हो सकेगा। हस्तगत प्रा0 पत्र के प्रकरण में मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है तथा सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्राथीगण इस आशय की सादिर की जाती है सरहद मौजा खामल पटवार हल्का खामल भू.अ.नि.क्षैत्र शिवपुरा तहसील सोजत, जिला पाली के खसरा नंबर 1052/2, 213/1, 214, 448, 449/1, 483/1, 505/1, 548/1, 549/1, 551/1 कुल खसरा 10 कुल रकबा 10.4500 है0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति वाद निर्णय तक कायम रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 to 04 पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जोगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 31/08/22 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जोगिड़)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत